Serial No. 3819 Circle:-:NA Book No. :- 4 Deed No. 23

Serial No. 3819 Deed No. 23

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **08/03/2022** by **Vishal Sagar**
A stamp duty of Rs. **10000**/- and other fees of Rs. **1500**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **23** in Book No. **4**, Volume No. **1** on pages from **215** to **224** and has been preserved in total **10** pages in C.D. No. **1** / Year **2022**

Signature with Date
(Arpana)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 08/03/2022 Token No: 3930 /2022

बिहार सरकार SCORE-4.1

Fo 3930

45/23 8/3/22

दस्तावेज जांच 8/3/2022

Scanned By

8/3/2022 Vishal Sagar

8/3/22 Meenakshi Kumari

साझेदारी अनुबंध पत्र
(DEED OF PARTNERSHIP)

यह साझेदारी अनुबंध पत्र आज दिनांक 2016 माह मार्च सन् 2022 ई० को निम्नलिखीत पक्षों के बीच निष्पादित किया जा रहा है:–

निबंधन कार्यालय, दानापुर, पटना

INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar
e-Stamp

Certificate No.	:	IN-BR30292117187045U
Certificate Issued Date	:	07-Mar-2022 11:40 AM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ brshcil01/ DANAPUR SRO/ BR-PAT/ DNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-BRBRSHCIL01432613284233345U
Purchased by	:	MS ANUP RAJ VISHAL SAGAR CONSTRUCTION
Description of Document	:	Not Applicable
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	Not Applicable
Second Party	:	MS ANUP RAJ VISHAL SAGAR CONSTRUCTION
Stamp Duty Paid By	:	MS ANUP RAJ VISHAL SAGAR CONSTRUCTION
Stamp Duty Paid (Rs.)	:	10,000(Ten Thousand only)
Reg. fee (Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)
LLR & P Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Discore SC (Rs.)	:	500 (Five Hundred only)
Total Amount (Rs.)	:	11,500 (Eleven Thousand Five Hundred only)

3930

Meenakshi Kumari
8/3/22

8/3/2022

8/3/22

..... Do not write or type below this line

निबंधन कार्यालय, दानापुर

KC 0002946132

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(1) **श्री विशाल सागर** पिता का नाम श्री अनुप राज यादव , निवास स्थान पुनाईचक , थाना एवं पत्रालय – शास्त्रीनगर , जिला – पटना – 800023 , जिन्हें इसके पश्चात **प्रथम पक्ष** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

मो0 न0 **8210056285**

PAN -- BIFPS 5251M

(2) **श्रीमती मिनाक्षी कुमारी** पति का नाम श्री अमित कुमार , निवास स्थान फ्लैट न0 104, निर्मला कुंज एपार्टमेन्ट , खाजपुरा , थाना – शास्त्रीनगर , जिला पटना – 800023 , जिन्हें इसके पश्चात **द्वितीय पक्ष** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

मो0 न0 **9576646865**

PAN -- DBEPK 7206N

(3) **श्री अनुप राज यादव** पिता का नाम स्वर्गीय शिव राज यादव , निवास स्थान – पुनाईचक , थाना एवं पत्रालय – शास्त्रीनगर , जिला – पटना – 800023 , जिन्हें इसके पश्चात **तृतीय पक्ष** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

मो0 न0 **9334733322**

PAN -- AACPY 1647H

सं द र्भ

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष तथा तृतीय पक्ष का मुख्य व्यवसाय जमीन खरीदकर या विकास एकरारनामा के आधार पर विभिन्न जमीन मालिकों से भूमि अधिग्रहित करके बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना एवं अपने क्रेताओं को फ्लैट की बिक्री करना , किसी प्रकार के निजी या सरकारी ठिकेदारी लेकर भवन निर्माण या सड़क या अन्य किसी प्रकार का कार्य करना , किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था को उनके आवश्यकता के अनुसार उनके सामग्रियों को ठीका पर आपूर्ति करना , जमीन की खरीद बिक्री इत्यादि करना है।

यह कि उक्त व्यवसाय हेतू आर्थिक सहयोग एवं अन्य कार्यो के उचित निष्पादन हेतू लेख्यकारीगण ने आपस में एक दूसरे का साझेदार बनना स्वीकार किया। जिसके फलस्वरूप इस वशिका साझेदारी का निष्पादन होना आवश्यक है।

Meenakshi Kumari 8/3/22

8/3/2022

यह कि उपरोक्त प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने आपस में मिलकर उपरोक्त कार्य या भविष्य में अन्य व्यवसाय , जो विधिसंगत हो करने हेतू आपस में सहयोग की दृष्टि से मिलकर साझेदार बनना स्वीकार किया तथा सहर्ष एकरार किया कि वे अपना सारा व्यवसाय **मेसर्स अनुप राज विशाल सागर कनस्ट्रक्शन** के नाम से सम्पन्न करेगें।

(1) यह कि साझेदारी व्यवसाय **मेसर्स अनुप राज विशाल सागर कनस्ट्रक्शन** का प्रधान कार्यालय – पुनाईचक , थाना शास्त्रीनगर , जिला पटना में रहेगी। यदि साझेदारों की आपसी सहमति हुयी तो उक्त फर्म का कार्यालय किसी अन्य स्थान पर भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(2) यह कि साझेदारी व्यवसाय मुख्य रूप से आवासीय या व्यवसायिक भवन का निर्माण करना , सरकारी या गैर सरकारी ठिकेदारी व्यवसाय करना, सामान्य आपूर्तिकर्ता, सामग्रियों का Transporting , जमीन खरीद बिक्री करना , जमीन को विकास एकरारनामा के अन्तर्गत विकास करना, साफ सफाई इत्यादि है। व्यवसाय के क्षेत्र या प्रकार में बढ़ोतरी साझेदारो के आपसी सहमति से की जा सकती है।

(3) यह कि व्यवसाय के क्रम में लगने वाली पूंजी की राशि निर्धारित नहीं है। व्यवसाय में जितना भी पूंजी लगेगा उसे सभी पक्ष आपस में मिलकर आपसी सहमति से लगायेगे।

(4) यह कि उक्त साझेदारों द्वारा आपस में तय किया गया कि किसी प्रकार के व्यवसाय के क्रम में किसी प्रकार का एकरारनामा या जमीन की खरीद बिक्री लेख्यकारी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर से सम्पन्न किये जायेगें। इसके साथ ही यह निर्धारित किया गया कि निर्माण सम्बन्धी प्रत्येक कार्य एवं सामग्रियों की खरीदारी किसी प्रकार का भूगतान एवं फर्म से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यों के निपटारा भी उक्त लेख्यकारी प्रथम के हस्ताक्षर से सम्पन्न होगा।

(5) यह कि फर्म में होने वाली लाभ हानि का विभाजन निम्नलिखित रूप से होगा।

निबंधन कार्यालय, दानापुर • पटना •

प्रथम पक्ष	40%
द्वितीय पक्ष	20%
तृतीय पक्ष	40%

(6) यह कि साझेदारी व्यवसाय में एक लेखा पुस्तिका रहेगा , जिसमें सभी आय व्यय सम्बन्धित सभी विवरण प्रतिदिन अंकित किया जायगा। उक्त लेखा पुस्तिका का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में किसी साझेदार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है या उसकी छाया प्रति ली जा सकती है।

(7) यह कि लेखा का वार्षिक अंतिम अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष के मार्च माह के आखिरी में किया जायेगा तथा यदि पक्षकारों द्वारा भवन निर्माण कार्य या किसी प्रकार के ठिकेदारी सरकारी या गैर सरकारी का कार्य किया जाता है तो उक्त भूखण्ड के अन्तिम निर्माण या ठिकेदारी के कार्य समाप्ति के पश्चात अनिवार्य रूप से सभी पक्षों के समक्ष आय व्यय का अंकेक्षण किया जायगा।

(8) यह कि फर्म का एक प्रस्ताव वही होगा जिसमें फर्म के समस्त व्यवसाय से सम्बन्धित साझेदारों द्वारा ली गयी निर्णयों का पूर्ण विवरण दर्ज रहेगा।

(9) यह कि साझेदारों का पारिश्रमिक आपसी निर्णय द्वारा निर्धारित किया जायगा , लेकिन किसी भी हालत में साझेदारों का पारिश्रमिक आय कर अधिनियम द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक से अधिक नहीं होगा।

(10) यह कि साझेदारों द्वारा व्यवसाय मे लगायी गयी पूंजी का सूद अनुपातिक पद्धति पर मिलेगा , सूद की राशि किसी भी हालत में 12% या आय कर अधिनियम द्वारा निर्धारित सूद की राशि से अधिक नहीं होगा।

(11) यह कि फर्म का किसी राष्ट्रीयकृत या सरकार से अनुमोदित बैंक में एक खाता होगा , जिसमें सभी प्रकार के लेन देन बैंक खाता से किया जायगा। बैंक खाता संचालन लेख्यकारी प्रथम पक्ष एवं लेख्यकारी तृतीय पक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निष्पादित किया जायगी।

कार्यालय, पटना

(12) यह कि निजी उपयोग हेतू किसी साझेदार द्वारा निकाली गयी राशि उनके अनुपातिक लाभ की राशि में समायोजित की जायगी तथा यदि लाभ की राशि निकाली गयी राशि से कम हुआ तो सम्बन्धित साझेदार अन्य साझेदार को अधिक राशि का भूगतान अपने पास से करने के उत्तरदायी होगें।

(13) यह कि साझेदारी व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या किसी एक साझेदार द्वारा सभी साझेदारों के आपसी लाभ के लिए किया जायेगा तथा किसी व्यक्ति विशेष साझेदार का लाभ या हानि उक्त व्यवसाय में निहित नहीं रहेगा।

(14) यह कि सभी साझेदारों अपने व्यक्तिगत ऋण एवं दायित्वों का निपटारा स्वयं करेगें तथा सभी साझेदार एक दूसरे के लाभ हानि के लिये उत्तरदायी रहेंगें।

(15) यह कि कोई भी साझेदार चाहे तो उक्त साझेदारी व्यवसाय से एक माह पूर्व अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर साझेदारी से त्याग पत्र दे सकतें हैं। वैसी हालत में त्याग पत्र देने वाले साझेदारों का व्यवसाय का लाभ एवं उनकी लागत पूंजी त्याग पत्र देने के तारीख से तीन माह के अन्दर अन्य साझेदार द्वारा फर्म के सुविधानुसार वापस कर दी जायगी। यदि किसी कारणवश तीन माह में त्याग पत्र दिये हुये साझेदार के लाभ की राशि एवं पूंजी की राशि का भूगतान फर्म के दूसरे सदस्य नहीं कर सके तो वैसी हालत में तीन माह के पश्चात लाभ एवं पूंजी की राशि का 12% सूद के साथ फर्म के अन्य साझेदारों द्वारा दी जायगी , लेकिन किसी भी हालत में कार्य समाप्ति के पूर्व त्याग पत्र दिये हुये साझेदार का पूरा हिसाब किताब समाप्त हो जाना चाहिए।

(16) यह कि किसी साझेदार के अचानक मृत्यु होने के पश्चात साझेदारी समाप्त नहीं होगी। मृतक साझेदार के पुत्र या उत्तराधिकारी द्वारा व्यवसाय चलता रहेगा। यदि मृतक साझेदार के पुत्र या उनके उत्तराधिकारी उक्त व्यवसाय में साझेदारी नहीं रखना चाहतें हो तो वैसी हालत में मृतक साझेदार का त्याग पत्र समझा जायेगा एवं मृतक साझेदार के लाभ की राशि एवं लागत पूंजी राशि मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी कों साझेदार के मृत्यु तिथि से तीन माह या कंडिका 15 में वर्णित शर्तो के अनुसार वापस कर दी जायगी।

निबंधन कार्यालय, पटना

8/3/22

Meenakshi Kumari 8/3/22

8/3/2022

(17) यह कि साझेदारों द्वारा विवाद की हालत में Arbitration Act के नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत विवाद को सुलझाया जायगा। जिसका अन्तिम निर्णय पटना स्थित न्यायालय क्षेत्र में ही किया जायगा।

(18) यह कि साझेदारों को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या समय समय पर संशोधित नियमों या उपनियमों के अनुसार ही आचरण करना होगा।

इस वास्ते यह वशिका साझेदारी अनुबंध पत्र सभी पक्षों अच्छी तरह समझ बुझकर एवं अपने अपने कानूनी सलाहकारों से राय परामर्श लेकर लिख दिया एवं अपना अपना हस्ताक्षर निम्नलिखीत साक्ष्यगण के समक्ष के कर दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

साक्ष्यगण का हस्ताक्षर

1. रवीन्द्र कुमार
8/3/22
2. Subodh Kumar
8/3/22

साझेदारों का हस्ताक्षर

1. 8/3/2022
2. Meenakshi Kumari
8/3/22
3. 8/3/22

प्रारूपकर्ता
रवीन्द्र कुमार

निबंधन कार्यालय, दानापुर

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '46'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	10000/-	
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-	

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	0/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	11500/-

Registration Fee

FEE PAID												
	A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
	A9	0	DD	1000	I	0	K1c	0	Mb	0		
	A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0		
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
									TOTAL-	1000		

		Service Charge
LLR	0	
Proc.Fee	0	500
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1500

Registering Officer
Danapur

Date: 08/03/2022

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Tuesday, 08th March 2022 by Vishal Sagar Anupraj Yadav by profession Others. Status - Executant

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:08/03/2022**

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Subodh Kumar' age '51' Sex 'M', 'Suryadeo Lal', resident of 'Punaichak,ps-Shastrinagaar,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Danapur

Date : 08/03/2022

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 4 Volume No. 1 on pages on 215 -224, for the year 2022 and stored in CD volume No. CD-1 year 2022 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Danapur

Date : 08/03/2022

Token No. : 3930 Year : 2022 S.No. : 3419 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 23